न्यायालय सहायक कलक्टर एंव उपखण्ड अधिकारी रामसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री राम लाल मीणा आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या –48/2025

प्रार्थीगण	**बनाम**	**विप्रार्थीगण**
1. मालाराम पुत्र ~~जोगाराम~~ प्रहलादराम 2. रामाराम पुत्र प्रहलादराम 3. उदाराम पुत्र प्रहलादराम 4. आसुराम पुत्र प्रहलादराम 5. श्रवण कुमार पुत्र जेठाराम जाति जाट निवासी रोडीनाडी चाडी तहसील रामसर, जिला बाडमेर।		1. जोगा पुत्र रामुराम जाति नाई 2. मांगाराम पुत्र मुलाराम जाति नाई 3. रेखी पत्नी राजुराम जाति नाई 4. राजु पुत्र गोरधन जाति नाई 5. रावताराम पुत्र मुलाराम जाति नाई निवासी रोडीनाडी चाडी तहसील रामसर जिला बाडमेर। 6.तहसीलदार रामसर।

<u>धारा 251 A 1 की उपधारा RT ACT 1955 के तहत अनुमति रास्ता आवेदन पत्र।</u>

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

:–निर्णयः–

दिनांक :–08.04.2026

प्रार्थना पत्र के संक्षेप तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि में जानें हेतु कब्जे की जोत में जाने हेतु अन्य खातेदारी काश्तकार की भूमि में होकर नया मार्ग लेने की मांग की हैं प्रार्थीगण की खातेदारी खेत मौजा रोडीनाडी चाडी पटवार मण्डल चाडी के खसरा नम्बर 322 रकबा 12.2215 हैक्टेयर भूमि चाडी से रोडीनाडी जानें वाली पक्की सडक के मध्य विप्रार्थीगणों की खातेदारी खेत खसरा नम्बर 324 रकबा 18.1623 हैक्टेयर आई हुई हैं प्रार्थीगण अपने खातेदारी खेत खसरा नम्बर 322 में पूर्व में परिशिष्ट "अ" नक्शा में बरंग लाल से दर्शित मार्क के अनुसार पगडडी थी जिससे आना जाना होता था लेकिन वर्तमान समय में विप्रार्थीगणों द्वारा अपनी खातेदारी खेत खसरा नम्बर 324 जिसमें बरंग लाल दर्शित पगडडी को विप्रार्थीयों द्वारा बंद कर दी गई है। ऐसी स्थिति में उक्त प्रस्तावित नया मार्ग 50 वर्षो से उपयोग में लिया जा रहा था। उक्त मार्ग को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवानें लिये 251 ए उपधारा (1) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र दिनांक 20.01.2025 जरिये अधिवक्ता श्री मदनसिंह भाटी द्वारा इस न्यायालय में पेश किया गया था। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विप्रार्थीगण की तामिली की गई बाद तामिली विप्रार्थीगण 1 से 5 की ओर से अधिवक्ता श्री रामस्वरूप भाटी उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया गया। एवंम बताया गया कि रास्ते के लिये जो भूमि चाही गई हैं उसके बदले उतनी ही भूमि दी दी जावें। एंक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 39 नियम 1 व 2 सपठित धारा 151 सीपीसी 1908 पेश किया जो शामील पत्रावली किया गया एंव विप्रार्थी संख्या 3 से 4 की ओर से रास्ता दिया जानें की सहमती जाहिर की गई तथा इस न्यायालय के पत्रांक/कोर्ट/2025/144 दिनांक 18.02.2025 एंव दिनांक 3.11.2025 द्वारा तहसीलदार रामसर से मौका रिपोर्ट चाही गई जो तहसीलदार रामसर द्वारा अपनें कार्यलय के पत्रांक रीडर/2025/3021 दिनांक 19.12.2025 को इस न्यायालय को प्राप्त हुई। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की ढ़ाणियां मौजा रोडीनाडी चाडी के खसरा नम्बर 322 रकबा 12.2215 हैक्टेयर में बनी हुई हैं। प्रार्थीगण की ढ़ाणियों तक पहुंच मार्ग हेतु निकटतम मार्ग खसरा संख्या 324 रकबा 18.1623 हैक्टेयर में से होकर चाहा गया है। [illegible] खसरा नंबर 322 में आनें जानें का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही होनें से मौजा रोडीनाडी [illegible] खसरा नम्बर 324 रकबा 18.1623 हैक्टेयर में से रकबा 0.1670 हैक्टेयर [illegible] 1670 वर्गमीटर अर्थात 0.1670 हैक्टेयर रास्ता चाहा गया है। जिसकी वर्तमान [illegible] 20040/रू की दुगनी राशि 40080 रूपये बनती हैं। तहसीलदार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट अनुसार रास्ता दि[illegible]की [illegible] रिर्पोट पर उभय पक्षों [illegible]ान अनुशंषा की गई हैं। तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित [illegible] रिर्पोट पर उभय पक्षों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:27:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
(SDO) रामसर

Scanned with OKEN Scanner

...ताओं की बहस सुनी गई । पत्रावली का अवलोकन किया गया भूमि संलग्न नक्शे में ... अनुसार भूमि में होकर नियमानुसार रास्ता दिये जानें की अनुशंषा की गई है। ...सीलदार द्वारा प्राप्त मोका रिर्पोट अनुसार उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई ...हसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि तक आवागमन का कोई दूसरा रास्ता उपल्बध नही होनें से प्रस्तावित भूमि में से होकर रास्ता घोषित करने में इस न्यायालय को कोई आपति प्रतित नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा रोडी नाडी चाडी पटवार मण्डल चाडी तहसील रामसर में अवस्थित प्रार्थीगण के खातेदारी खेत खसरा संख्या 322 भूमि तक आवागमन हेतु विप्रार्थी संख्यागणों की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 324 रकबा 18.1623 हैक्टेयर में से रकबा 0.1670 हैक्टेयर अर्थात (344X5) कुल 1670 वर्गमीटर संलग्न मौका रिर्पोट मय नक्शा अनुसार प्रस्तावित रास्ता घोषित किया जाता है। यह आदेश तब ही कियान्वित होगा, जब प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तावित रास्ते का भूमि का विप्रार्थीगणों को प्रार्थीगण द्वारा राजस्थान स्टाम्प नियम ,2004 के नियम 2 के उपनियम (1) के खण्ड ख के तहत गठित जिला स्तरीय समिति द्वारा सिफारिश की गई कृषि भूमि की दरों का दुगना प्रतिकर की राशि 20040/– रूपये की दुगनी राशि 40080/– रूपये खातेदार/भूमिधारी तहसीलदार को जरिये डीडी/बैंकर्स द्वारा अदा किये जानें पर रास्ता दिया जानें का प्रावधान है। प्रार्थीनी द्वारा डीएलसी दर की दुगनी राशि जमा करानें पर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किये जावें। तदनुसार तहसीलदार रामसर राजस्व रिकॉर्ड एवं नक्शा शीट में अमलदरामद करने के आदेश दिये जाते है। संलग्न तहसीलदार रामसर द्वारा प्रेषित मौका रिर्पोट मय नक्शा ट्रेस इस आदेश का अभिन्न अंग रहेगा। निर्णय आज **08.04.2026** को खुले न्यायालय सुनाया गया। पत्रावली फेसल सुमार होकर नंबर से कम हो।

8/4/2026

(राम लाल मीणा)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी, रामसर
(SDO) रामसर

सहायक कलक्टर रामसर (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Lal Meena
Date: 2026.04.27 10:27:19 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner